फा.सं. 3-27/2022-पीआर

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION

सचिवालय/ SECRETARIAT

पोर्ट ब्लेयर दिनांक मई, 2022

<u>प्रेस नोट</u>

सभी संबंधित लोगों को यह सूचित किया जाता है कि प्रशासन ने अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत प्रशासन विनियमन) नियमावली, 1997 ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता एवं नियमावली, 2019 के मसौदे को हितधारकों से सुझाव/आपत्तियाँ (यदि कोई हो) आमंत्रित करने के लिए वेबसाइट www.andaman.gov.in में अपलोड किया है। इस प्रेस नोट के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर दावा एवं आपत्तियाँ या टिप्पणियाँ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रेस नोट के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के पश्चात किसी भी प्रकार के दावे एवं टिप्पाणियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उप सचिव (ग्रा.वि/पंचायत)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/ SECRETARIAT

पोर्ट ब्लेयर दिनांक मई, 2022

अधिसूचना

सं_____ अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम 1994 की धारा 202 की उपधारा (I) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार (पंचायत प्रशासन) नियमावली, 1997, जिसे अंडमान तथा निकोबार राजपत्र में दिनांक 19/09/1997 के अधिसूचना संख्या 97 का 131 के रूप में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव देते हैं।

अत: इस नियमावली के संबंध में आम जनता/हितधारकों से सुझाव/ आपत्तियाँ (यदि कोई हो),आमंत्रित की जाती है, जिसे प्रशासन के शासकीय बेबसाइट में इस नियमावली के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर उप सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायत), सचिवालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर के समक्ष प्रस्तुत करें।

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : -

i) इन नियमों को " अंडमान तथा निकोबार (पंचायत प्रशासन) (संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जाएगा"।

ii) यह नियमावली अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

संशोधन

2. ''अण्डमान तथा निकोबार (पंचायत प्रशासन) नियमावली, 1997'' (यहाँ इसके पश्चात मूल नियमावली के रूप में संदर्भित होंगें) के नियम 34 को इस प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

''34 निमार्ण प्रस्ताव में नागरिक सुविधाओं की पूर्व-कल्पना: (1) ऐसी तिथि से एवं ऐसे गाँव या गाँवों के संबंध में, जैसा कि प्रशासन द्वारा अधिसूचना के

माध्यम से विनिर्दिष्ट करेगा, किसी ग्राम पंचायत के सीमाक्षेत्र/क्षेत्राधिकार के भीतर बनाई जाने वाली नई संरचना या भवन की आयोजन में निम्नलिखित के लिए समुचित प्रावधान होना चाहिए: -

क. विद्यमान सार्वजनिक नालियों (ड्रेन) या जल निकासी चैनलों तक पहुँच और मार्ग के माध्यम से या पर्याप्त क्षमता वाले सोक-पिट के माध्यम से समुचित जल निकासी सुविधा।
ख. अपशिष्ट निपटान सुविधा सहित स्वच्छता सुविधाएँ, और
ग. नियम 33 में बताए गए के अनुसार प्लॉट तक पहुँचने के लिए सड़क या मार्ग।

2. यदि ग्राम पंचायत की यह राय हैं कि किसी स्थानीय क्षेत्र की समुचित स्वच्छता के प्रयोजन के लिए किसी अन्य प्लॉट के मालिक की स्वमित्व वाले निजी नाले से किसी परिसर को अपने ड्रेनेज सुविधा को जोड़कर आगे ले जाना है, तो ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत उस परिसर के मालिक तथा उस निजी ड्रेन के मालिक को लिखित सूचना दें कर अपेक्षा करेगा कि:-
   (i) उस परिसर का मालिक उसके घर के ड्रेन को उस निजी ड्रेन से जोड़े, तथा
   (ii) उस निजी ड्रेन का मालिक ऐसे कनेक्शन को उस निजी ड्रेन से जोड़ने की अनुमति दें।

3. जब उप-नियम (2) के अनुसार कोई कनेक्शन को जोड़ा जाता है, तब उस निजी ड्रेन के उस कनेक्शन की प्वाइंट से सार्वजानिक ड्रेन में मिलने की प्वांइट तक की मरम्मत, अनुरक्षण एवं साफ-सफाई की संयुक्त जिम्मेदारी ऐसे परिसरों तथा निजी ड्रेन के मालिकों की होगी।

   परन्तु यह कि यदि इस संयुक्त जिम्मेदारी को निभाने को लेकर मालिकों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में इस मामले को प्रधान के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस मामले में उनका निर्णय अंतिम और उन मालिकों के लिए बाध्यकर भी होगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियमावली के प्रयोजन के लिए ''सार्वजनिक ड्रेन'' से तात्पर्य भारत सरकार, प्रशासन या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित ड्रेन से है जिसमें किसी भवन या भूमि के मालिक या उसमें रहने वाले लोग अपने ड्रेनों (नालों) को जोड़ कर अपशिष्ट को खाली करेगा/बहाएगा।

4. दिनांक 22 अगस्त 2019 के अधिसूचना संख्या 158 के द्वारा अधिसूचित अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और नियमावली, 2019 यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी और निजी भवनों (वाणिज्यिक या संस्थागत प्रयोजन के भवन तथा आवासीय प्रयोजन के भवन) के संबंध में भी लागू होंगे।''

उपराज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर

उप सचिव (ग्रामीण विकास/पंचायत)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन